रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936
No. 52] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015 /MAGHA 3, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 54(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में 'जनित्र सेट (जेनसेट) के लिए 800 किलोवाट तक के नए डीजल इंजन के लिए उत्सर्जन सीमाओं' से संबंधित क्रम संख्या 95 के अंत में निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"भारतीय सेना के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा उपाप्त किए जाने वाले 3डी टेक्टीकल कंट्रोल राडार के लिए 20 डीजल जनित्रों के लिए उत्सर्जन मानकों से छूट ।"

भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले 3डी टेक्टीकल कंट्रोल राडार में उपयोग के प्रयोजन के लिए मैसर्स किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड, पूणे द्वारा विनिर्मित 113.2 किलोवाट डीजल जेनसेट को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए इस प्रविष्टि के अधीन 800 किलोवाट तक के जनित्र सेटों के नए डीजल इंजन को इंजन के लिए विनिर्दिष्ट विनियमों से छूट दी जाएगी, अर्थात् :-

(i) उक्त जेनसेट सा.का.नि. 371 (अ), तारीख 17 मई, 2002 के अनुसार 30 जून, 2013 को यथा विद्यमान उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करेंगे ;

(ii) उत्सर्जन मानकों से विशेष अभिमुक्ति विद्यमान डिजाइन या कंफिग्रेशन के 3डी टेक्टीकल कंट्रोल राडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले केवल संख्या में बीस से अनधिक डीजल जेनसेट सेटों के लिए ही होगी जिन्हें 30 जून, 2015 को या उससे पूर्व उपाप्त और उपयोग किया जाएगा;

(iii) महाप्रबंधक (राडार) और एकक प्रमुख, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद बीस डीजल जेनसेटों की क्रम संख्या का सुनिश्चय और अनुरक्षण करेगा और इन जनित्र सेटों के विनिर्माता को निदेश देगा कि वह जनित्र सेटों के इंजन और मुख्य बॉडी पर, "भारतीय सेना की 3डी टेक्टीकल कंट्रोल राडार प्रणाली में केवल उपयोग के लिए" शब्द उत्कीर्ण करे ।

(iv) यह सुनिश्चय करने के लिए कि विशेष अभिमुक्ति के अधीन 113.2 किलोवाट के केवल बीस जनित्र सेटों का विनिर्माण किया गया है और इस छूट का ऐसे या अन्य प्रयोजन के लिए कहीं और दुरुपयोग नहीं किया जाए, जनित्र सेटों के विनिर्माता या संयोजक और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के परिसर में एक रजिस्टर रखा जाएगा ।"

[फा. सं. क्यू 15017/08/2012-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सं. का.आ. 01(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010; सं. का.आ. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सं. का.आ. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सं. का.आ. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सं. का.आ. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सं. का.आ. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सं. का.आ. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सं. का.आ. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सं. का.आ. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सं. का.आ. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012; सं. का.आ. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सं. का.आ. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सं. का.आ. 771(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013; सं. का.आ. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सं. का.आ. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सं. का.आ. 262(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सं. का.आ. 612(अ), तारीख 28 अगस्त, 2014; और सं. का.आ. 789(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2015

G.S.R. 54(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I, in serial number 95 relating to 'Emission Limits for new diesel engine upto 800 kW for generator set (Genset) application', the following paragraph shall be inserted at the end, namely:

   "Exemption from the Emission Norms for twenty Diesel Gensets of 113.2 kW to be procured by Bharat Electronics Limited for 3D Tactical Control Radar for Indian Army.

The 113.2 kW diesel gensets manufactured by M/s Kirloskar Oil Engine Limited, Pune for the purpose of their use in 3D Tactical Control Radars System for use by the Indian Army shall be exempted from the regulations specified for new diesel engine upto 800 kW for generator set, under this entry, subject to following conditions, namely:---

i. the said gensets would comply with emission norms as existing on 30th June 2013, as per G.S.R. 371(E), dated 17th May, 2002;

ii. the special dispensation for the emission norms shall be only for the diesel gensets, not exceeding twenty in number, to be used in 3D Tactical Control Radars System, with the present design or configuration which shall be procured and used on or before 30th June, 2015;

iii. the General Manager (Radar) and Unit Head, Bharat Electronics Limited, Sahibabad shall ensure and maintain the serial numbers for twenty gensets and shall direct the manufacturer of these generator sets to emboss on the engine and main body of the gensets, the words "For the use of Army only in 3D Tactical Control Radars System".

iv. a register shall be maintained at the premises of the manufacturer or assembler of gensets and in the Bharat Electronics Limited, Sahibabad to ensure that only twenty diesel gensets of 113.2 kW are manufactured under special dispensation and this exemption shall not be misused elsewhere, for similar or other purpose."

[F.No. Q-15017/08/2012-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 01 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E); dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771 (E), dated the 11th December, 2013, G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229(E), dated the 28th March, 2014; GSR 262(E) dated 31st March 2014; GSR 612(E) dated 28th August; 2014 and G.S.R 789 (E) dated 11th November 2014 .

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.